

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/85/2009/32
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/09/2015

✓ आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

विषय :- खुरई विकास योजना 2021 का प्रकाशन ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सूचना दिनांक 3/9/2015 की ^{उक्त} प्रतियाँ संलग्न हैं । निर्देशानुसार लेख है कि उक्त सूचना से संबंधित समस्त अभिलेख एवं मानचित्र संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी खुरई को आम जनता के अवलोकन हेतु रखवाने का कष्ट करें तथा उक्त सूचना का नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाईट पर भी डलवाने का कष्ट करें ।

संलग्न : यथोपरि

Sujata
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

3/9/2015 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल दिनांक 31/10/15...

क्रमांक-एफ-3/85/2009/32 :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत खुरई निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 03/09/2015 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptownplan.nic पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालवधि में निरीक्षण किया जा सकेगा -

- (1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग कक्ष क्रमांक-302 बी तृतीय तल मंत्रालय भोपाल ।
- (2) कलेक्टर सागर म0प्र0 ।
- (3) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर
- (4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, खुरई।

2. उपांतरण का विवरण:-

1. मध्यप्रदेश सड़क विकास नियम द्वारा पूर्व से दक्षिण होते हुये पश्चिम तक विका योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग के लिये अन्य रेखाकन के आधार पर भू-अर्जन किया जा चुका है। अतः उक्त भू-अर्जन के रेखाकन के आधार पर विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग का रेखाकन परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। नये रेखाकन अनुसार मार्ग से प्रभावित होने वाले ग्राम एवं खसरो की सूची उपांतरण में सम्मिलित है। मार्ग के रेखाकन के प्रस्तावित परिवर्तन के कारण अन्य नगरीय उपयोगों में होने वाले आंशिक परिवर्तनों को भी उपांतरण में सम्मिलित किया गया है। सूची उपांतरण में संलग्न है।

2. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के कारण विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण निम्नानुसार है :-

विकास योजना की पुस्तिका की कडिका 4.17, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4 सारणी 6-सा-2 की विभिन्न टीपें, 6.4.1, 6.4.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.7.2, 6.7.3, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 की सारणी 6-सा-15, वाणिज्यिक सारणी, 6-सा-15 आद्यौगिक, 6.12.1, 6.13, 6.16, अध्याय-7 की कडिका 7.1, 7.3, प्रस्तावित किया है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic पर अवलोकन किया जा सकता है।

3 उक्त उपांतरण विवरण के संबध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, कक्ष क्रमांक 302-बी, तृतीय तल मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते है। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस के मुद्गल)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल, दिनांक-02 सितम्बर 2015


क्रमांक -एफ-3-85/32/10 एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (23 सन् 1973) की धारा 19 (2) के प्रावधान्तर्गत राज्य सरकार ने खुरई विकास योजना (प्रारूप) 2021 में निम्नानुसार उपान्तरण प्रस्तावित किये हैं :-

अधिसूचना में उपान्तरण विवरण


1. म0प्र0 सड़क विकास निगम द्वारा पूर्व से दक्षिण होते हुये पश्चिम तक विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग के लिये अन्य रेखाकन के आधार पर भू अर्जन किया जा चुका है। अतः उक्त भू अर्जन के रेखाकन के आधार पर विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग का रेखाकन परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। नये रेखाकन अनुसार मार्ग से प्रभावित होने वाले ग्राम एवं खसरो की सूची उपांतरण में सम्मिलित है। मार्ग के रेखाकन के प्रस्तावित परिवर्तन के कारण अन्य नगरीय उपयोगों में होने वाले आंशिक परिवर्तनों को भी उपांतरण में सम्मिलित किया गया है। सूची उपांतरण में संलग्न है।

2. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के कारण प्रस्तावित उपांतरण

अनु.क्र.	उपान्तरण विवरण
1	<p>4.17 प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र</p> <p>खुरई निवेश क्षेत्र परिसंकट उन्मुख क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। नगर में स्थित तालाब के किनारे संभावित कटाव/फिसलन को रोकने के लिये पर्यावरण वानिकी का प्रावधान रखा गया है, इसके साथ ही निवेश क्षेत्र में स्थित नदी/नालों के दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत हरित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p>



	<p>4.17 प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र खुरई निवेश क्षेत्र परिसंकट उन्मुख क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। नगर में स्थित तालाब के किनारे संभावित कटाव/फिसलान को रोकने के लिये पर्यावरण वानिकी का प्रावधान रखा गया है, इसके साथ ही निवेश क्षेत्र में स्थित नदी/नालों के दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत हरित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।</p>
2	<p>5.4 मार्गों का श्रेणीक्रम (ब) बायपास मार्ग नगर से गुजरने वाले विभिन्न क्षेत्रीय मार्गों को आपस में जोड़ते हुए बायपास मार्ग प्रस्तावित किये गये है। इन मार्गों की चौड़ाई 36 मीटर प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>5.4 मार्गों का श्रेणीक्रम (ड) बायपास मार्ग नगर से गुजरने वाले विभिन्न क्षेत्रीय मार्गों को आपस में जोड़ते हुए बायपास मार्ग उपांतरण में संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित किये गये है। इन मार्गों की चौड़ाई 40 से 60 मीटर प्रस्तावित की गई है।</p>
3.	<p>5.5 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई सारणी 5-सा-1 उपरोक्त सारणी को विलोपित कर निम्न सारणी प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>5.5 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई सारणी 5-सा-1 निम्नानुसार</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खुरई-खिमलासा-बीना मार्ग (रिव्हे क्रॉसिंग से) प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम तक- 30 मीटर। 2. खुरई-खिमलासा-बीना मार्ग प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम आगे- 60 मीटर। 3. खुरई-खिमलासा-बीना मार्ग (रिव्हे तिराहे से) बीना मार्ग संगम तक- 30 मीटर। 4. खुरई-रजवास रेलवे मार्ग क्रॉसिंग से (आन्तरिक बायपास मार्ग संगम तक) - 30 मीटर।



	<ol style="list-style-type: none"> 5. खुरई-रजवांस मार्ग (आन्तरिक बायपास मार्ग संगम से) 60 मीटर। 6. खुरई-खैरा मार्ग (भूसा मण्डी रेल्वे क्रॉसिंग से) - 30 मीटर। 7. खुरई-सेमरा बाग मार्ग (रजवांस रेल्वे क्रॉसिंग से)- 30 मीटर। 8. खुरई-राहतगढ़ मार्ग (प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम से)- 60 मीटर। 9. खुरई-पठारी मार्ग (नवोदय विद्यालय से)- 24 मीटर। 10. खुरई-सागर बायपास मार्ग संगम से आगे- 90 मीटर। 11. खुरई हनोता मार्ग- 24 मीटर 12. खुरई ढीहर मार्ग- 24 मीटर <p>(ब) बायपास मार्ग</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सागर मार्ग बायपास संगम से ढीहर बायपास मार्ग संगम होते हुये बीना मार्ग पेट्रोल पंप तक- 90 मीटर। 2. खुरई-बीना मार्ग पेट्रोल पंप से आगे- 90 मीटर। 3. ढीहर बायपास मार्ग संगम से खैरा बायपास मार्ग संगम तक- 40 मीटर। 4. बीना प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम से पेट्रोल पंप बायपास मार्ग संगम तक - 40 मीटर। <p>(अ) आंतरिक मार्ग</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) सागर - सेमरा - रजवांस - खैरा - खिसलासा एम.आर. - 1 (2) सागर - राहतगढ़ - पठारी - बीना - वास्था मार्ग एम.आर - 1 <p>(ब) अन्य मार्ग एम.आर. - 2, एम.आर.- 3, एम.आर.- 4, एम.आर.- 5 - 18 मीटर।</p>
4.	<p>5.5 खुरई वर्तमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई</p> <p>सारणी 5-सा-1 (अ) का क्रमांक 17- सागर नाका चौराहा से पेट्रोल पंप तक 24 मीटर।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>5.5 खुरई वर्तमान नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई</p> <p>सारणी 5-सा-1 (अ) का क्रमांक 17- सागर नाका चौराहा से प्रस्तावित बायपास मार्ग संगम तक 24 मीटर।</p>
5.	<p>6.1 प्रवृत्तशीलता</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन तथा भूमि का व्यावसायिक उपयोग के परिपेक्ष्य में भूमि उपयोग



उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.1 प्रवृत्तशीलता

2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तकरण, विलियन उपान्तरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित हैं।

6.

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23) की धारा 13(1) के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियम इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं वे म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.2 क्षेत्राधिकार

इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23) की धारा 13(1) के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियम इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं वे म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.3 परिभाषाएं

टीप:- अन्य परिभाषाएं म0प्र0 भूमि विकास नियम,1984 के अनुरूप रहेंगी।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

अन्य परिभाषाएं - म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगी।

7.

6.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

8. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।

9. मध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बन्धन

शर्त नियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप अनौपचारिक दर्जा हेतु भूमि/भूखण्ड आरक्षित किया जाएगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन


8. अल्प आय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिन्यास न0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 [परिशिष्ट (ज)] के निहित प्रावधानों के अनुरूप मान्य होंगे।
9. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुरूप कमजोर आयवर्ग हेतु भूमि/भवन आरक्षित कि जाएगी।

3. 6.4 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा-2 की विभिन्न टीमें

1. उपरोक्त सारणी भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है, उपरोक्त भवन ऊंचाई एवं अन्य मापदण्ड न0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होंगे।
2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये गये भूखण्ड के आकारों को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भू-खण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना न0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशसित होंगे।
6. भूतल के नीचे बेंसमेंट स्वीकार्य होगा, जो की स्वीकार्य भूतल आच्छादन के समतुल्य होगा एवं इसकी गणना फर्शीक्षेत्र अनुपात में नहीं की जावेंगी।
7. निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम दो कर्मचारी आवास अनुज्ञेय होंगे।
10. 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिये।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना



प्रस्तावित है :-

8.4 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा-2 की विभिन्न टीपें

1. उपरोक्त सारणी भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है, उपरोक्त भवन ऊंचाई एवं अन्य मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होंगे।
2. सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 के भूखण्ड 6 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होने की दशा में इस पर दो मंजिले आवास निर्माण अनुज्ञेय होंगे। सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखण्ड के आकारों को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप होगी। इन भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर चौड़ा मार्ग होना चाहिए। अनुक्रमांक 1 से 8 तक भूखण्ड की श्रेणियां निजी आवासों के स्वरूप की होगी।
3. भूतल के नीचे बेसमेंट स्वीकार्य होगा, म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के अनुसार मान्य होगा।
7. आवासीय प्रयोजन के भूखण्ड पर निर्धारित एफ.ए.आर के अतिरिक्त कर्मचारी आवास का निर्माण मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 61 की सारणी के टिप्पणी (3) के अनुरूप मान्य होगा।
10. भूखण्डों पर स्वीकार्य/निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर की दर पर एक कार पार्किंग का स्थल प्रावधानित होना चाहिये।

9. 8.4.1 समूह आवास:-

समूह आवास परियोजनाओं हेतु मध्यप्रदेश नियम, 1984 के प्रावधान अनुसार मापदण्ड लागू होंगे, समूह आवास परियोजना हेतु अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात 1.50 अनुज्ञेय होगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

8.4.1 समूह आवास:-

समूह आवास, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 तथा नियम 42 (आवश्यकता अनुसार) के अनुरूप मान्य होंगे।

10.

6.4.2 बहुमंजिले इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.4.2 बहुमंजिले इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 42 एवं सहपठित नियम 12 के प्रावधान अनुरूप ऊँचें भवनों का निर्माण मान्य होगा।


11.

6.5 वन आवास (फार्म हाउस) :-

विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवासी हेतु निर्मित क्षेत्र फार्म संबंधी अन्य गतिविधियों आच्छादित क्षेत्र आदि फार्म हाउस के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे

1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा।
2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा।
3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम उंचाई 6.5 मीटर होगी।
4. फार्म हाउस के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 445 वर्गमीटर में प्राधिकारी के भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करवाना होगा जिनका विकास का दायित्व आवेदक का होगा।
5. फार्म हाउस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिनके लिये सार्वजनिक मार्ग(सड़क) द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो।
6. वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा।
7. वन आवास से जल स्रोत प्रदूषित नहीं होना चाहिये।
8. वन आवास में भवन/आच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संख्या तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/ अनुमोदित की जावेगी।
9. किसी भी कृषि भूमि का भू-स्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप वन आवास के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

	<p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.5 वन आवास (फार्म हाउस) :- निवेश क्षेत्र में फार्म हाउस के मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।</p>
12.	<p>6.6 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका :- खुरई वाणिज्यिक क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारिणी 6-सा-3 की टीप 2. उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.6 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका :- खुरई वाणिज्यिक क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारिणी 6-सा-3 की टीप 2. उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।</p>
13.	<p>6.7 ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानक :- निवेश क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय राज्य मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों पर पेट्रोल पंप की स्थापना के स्थल हेतु मापदण्ड सारिणी 6-सा-5 के अनुसार होंगे। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.7 ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानक :- ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मान्य म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (चार) के अनुरूप मान्य होंगे।</p>
	<p>6.7.2 छविगृहों के लिये मापदंड मार्ग चौड़ाई:- छविगृहों का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी। भूखण्ड का न्यूनतम:- 2000 वर्गमीटर या 4 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति, जो अधिक हो। आच्छादित क्षेत्र :- कुल भूखण्ड का 33 प्रतिशत भूतल पर। एफ.र.आर:- 1:1.25 सीमांत खुला क्षेत्र- सामने:- न्यूनतम 15 मीटर आजू/बाजू- न्यूनतम 8 मीटर/8 मी., पुष्ठ - न्यूनतम 8 मीटर</p>



नोट:- कुल एफ.ए.आर का 10 प्रतिशत क्षेत्र सिनेमा गतिविधियों से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा सकेगा।
 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित नियम 82, 83 एवं अन्य नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 पार्किंग, निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं तथा अनुशासिक गतिविधियों के लिए उल्लेखित नियमों का भी पालन करना होगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.7.2 छविगृहों के लिये मापदंड

छविगृहों के मापदण्ड 50प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (दो) अनुरूप मान्य होंगे।

14.

6.7.2 छविगृह हेतु मापदण्ड के पश्चात निम्न कंडिका को अन्तः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.7.3 होटल हेतु मापदण्ड

1. भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र -40 प्रतिशत, सम्मुख मार्ग 12 मीटर
 2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात-1:1.50
 3. अधिकतम ऊचाई -50प्र0 भूमि विकास नियम 2012 अनुसार
- फर्शी क्षेत्र अनुपात 5 प्रतिशत होटल गतिविधि से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
 - तल घर म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 अनुरूप मान्य होंगे।
 - वाहन विराम स्थल म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होंगे।

15

6.8 औद्योगिक विकास मानक

औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होंगे।

1. भूखण्ड का क्षेत्र- न्यूनतम 65 प्रतिशत
 2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र- न्यूनतम 25 प्रतिशत
 3. दुकाने एवं अन्य सुविधाएं- न्यूनतम 10 प्रतिशत।
- औद्योगिक विकास नियम 1984 के नियम 48(1),(2) के अनुसार भी आवश्यकता पडने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-



6.8 औद्योगिक विकास मानक

औद्योगिक विकास के मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 48 के अनुरूप होंगे। भूखण्डों को पहुँच प्रदान करने वाले मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होना चाहिये

6.8 फ्लैटेड फैक्ट्रीयों

फ्लैटेड फैक्ट्रीयों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात नये विकसित क्षेत्र में निम्नानुसार होगा।

- न्यूनतम भूखण्ड का आकार—1000 वर्गमीटर
- निर्मित क्षेत्र— 50 प्रतिशत
- फर्शी अनुपात—1:1.5
- सीमान्त खुला क्षेत्र—स्थल स्थिति एवं अभिन्यास मानकों के अनुसार पार्किंग स्थल मापदण्ड सहित निर्धारित किये जायेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के उप विभाजन में न्यूनतम 2.05 वर्गमीटर प्रति कामगार की दर से सुविधाओं हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जावेगा। औद्योगिक संस्थान के कामगारों का आंकलन 300 कामगार प्रति हेक्टर (कुल क्षेत्रफल के लिये) की दर से किया जावेगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.8 फ्लैटेड फैक्ट्रीयों

फ्लैटेड फैक्ट्रीयों के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होंगे।

16

6.9 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक

सामाजिक अधोसंरचना के मापदंड सारणी 6-सा-8 अनुसार होंगे।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.9 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक

सामाजिक अधोसंरचना के मापदंड सारणी 6-सा-8 के प्रावधान न0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 अनुरूप मान्य होंगे।

17.

6.11 वाहन विराम स्थल के मापदण्ड

सारणी 6-सा-12 के प्रावधान सारणी एवं टीप सहित।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.11 वाहन विराम स्थल के मापदण्ड

वाहन विराम संबंधित मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होंगे।

18. कंडिका 6.12 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति।

वह भूमि उपयोग परिसर जो प्रमुख परिक्षेत्रों के अंतर्गत हैं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने पर स्वीकार्य है :-


क्र. 1	भूमि उपयोग 2	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग 3	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग 4
1	आवासीय सारणी 6-सा-15	आवासगृह, छात्रावास, अतिथिगृह, लाजिंग एवं बोर्डिंग हाऊस, धर्मशाला, सामुदायिक हाल, बारात घर, आश्रम गृह, बाल यातायात उद्यान, शिशु भवन, बाल-विहार, पाठशालाएं, धार्मिक परिसर, आमोद-प्रमोद उपयोग क्लब, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, टेक्सी व स्कूटर स्टेण्ड, बस स्टाप, आटा चक्की, झूलाघर	व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसायिक इकाई आदि जो उसी भवन में स्थित हो, नर्सिंग होम, शोध केन्द्र, अर्द्धशासकीय कार्यालय, स्थानीय दुकानें, पेट्रोल पम्प, हल्के वाहनों की मरम्मत दुकानें, खुला रंगमंच, संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिका, पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपभोक्ता भंडार, दिवस देखरेख केन्द्र, कम्प्यूटर केन्द्र, म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38 (1) परिशिष्ट-जे भाग-1 एवं 11 में सम्मिलित उद्योग प्रयोगशालाएं।
2	वाणिज्यिक सारणी 6-सा-15	फुटकर दुकानें, उपहार गृह, सुविधाजनक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, छबिगृह, बस टर्मिनल, नर्सिंग होम, धार्मिक परिसर, सेवाएं एवं सुविधाएं, छात्रावास, थोक व्यापार, भण्डारण, छबिगृह, सेवाकेन्द्र, बस टर्मिनल, धार्मिक परिसर, कर्मशाला, कबाड़-खाना, मण्डी, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा।	धर्मशाला, बारात घर, एक कमरे में लगने वाले प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक हाल, संस्कृति प्रचार केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, कला केन्द्र, संग्रहालय, संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मोटर गैरेज, आवासीय फ्लैट, शीतगृह, सेवा उद्योग, प्रेस परिसर, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, कम्प्यूटर आधारित प्रिंटिंग प्रेस, छात्रावास, अग्निशमन केन्द्र तथा मूने विकास नियम 1984 के नियम 38 परिशिष्ट-जे-भाग-1 एवं 11 में सम्मिलित

3	<p>औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग</p> <p>(ब) अन्य उद्योग</p>	<p>हल्के उद्योग, जैसे आटा मशीन, दाल, तेल मिल, दूध डिब्बे में भरना, डिब्बे बनाना, मरम्मत कर्मशाला, सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सेवा भवन, उपहार गृह।</p> <p>सामान्य भारी एवं मध्यम उद्योग, शीतगृह, रासायनिक उद्योग, चमड़े के उद्योग, मछ निर्माण शाला एवं अन्य उद्योग, रात्रि आश्रय गृह, सेवा केन्द्र सह कर्मशाला।</p>	<p>उद्योग</p> <p>पेट्रोल पम्प, परिवहन संस्थान, कूड़ा कचरा स्थान, शौचन दुकानें, नाल गोदान, अप्रेशन अभिकरण।</p> <p>कर्मचारी आवास, बस डिपो, कर्मशाला, बस टर्मिनल, रेलवे नाल गोदान, गोदान, आवासीय (उद्योग से संबंधी) सेवार, सार्वजनिक सेवा भवन, अग्निशमन केन्द्र, गैस भण्डारण, एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट।</p>
---	--	---	---

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र.	भूमि उपयोग	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग
	2	3	4
1	<p>आवासीय सारणी</p> <p>8-सा-15</p>	<p>आवासीय गृह, छात्रावास, मैस्ट हाउस, लॉजिंग एवं इंडिंग हाउस, धर्मशाला, बसतघर, सामुदायिक हाल, आश्रम गृह, बालक यातायात पार्क, प्रयोगशालाएँ, शिशु सदन, बालबिहार, जाटशालाएँ, धार्मिक स्थान, आनोद-प्रनोद उपयोग क्लब, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, टेक्सी वा स्कूटर स्टैंड, बस स्टॉप।</p>	<p>व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यावसायिक इकाई, नर्सिंग होम कार्यालय, होटल, आटा चक्की, पेट्रोल पंप, हल्के वाहनो की मरम्मत से संबंधित दुकानें, छविगृह, संग्रहालय, पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सामुदायिक भवन तथा न०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 (1) परिशिष्ट (घ) भाग 1 एवं 2 में सन्निहित उद्योग।</p>
2	<p>वाणिज्यिक सारणी</p> <p>8-सा-15</p>	<p>फुटकर दुकानें, होटल, सुविधाजनक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, छविगृह, बस टर्मिनल, नर्सिंग होम, धार्मिक परिसर सेवाएँ एवं सुविधाएँ, होस्टल, थोक व्यापार, गोदान, छविगृह, सेवा केन्द्र, बस टर्मिनल, धार्मिक परिसर, मोटर गैरेज, वर्कशाप, कबाडखाना, जंजी व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान सेवाएँ।</p>	<p>धर्मशाला, सभागृह, एवं कमरे में लगने वाले प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक हाल, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र कला केन्द्र, संग्रहालय संगीत नृत्य एवं नाटक शिक्षण केन्द्र, लायब्रेरी, प्रयोगशाला, मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सामान्य बाजार आवासीय प्लेट, शीतगृह सेवा उद्योग जड़ू पंप, प्रेस कान्पलेक्ट, कर्मशाला, न० प्र० विकास नियम 2012 के नियम 37 परिशिष्ट (घ) के भाग (3) में सन्निहित उद्योग।</p>

3	औद्योगिक	<p>अ- सेवा उद्योग दूध डिब्बे में भरना, सार्वजनिक सेवा भवन।</p> <p>ब- अन्य उद्योग स्टोरेज, एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट, रासायनिक उद्योग, चमड़े के उद्योग, मद्य, निमार्ण शाला एवं अन्य उद्योग।</p>	<p>हल्के उद्योग जैसे आरामेल, दाल तेल मिल, पेट्रोल पंप, परिवहन संस्थान, कूड़ा करकट स्थान, शौ-रूम दुकानें उपहार गृह, माल गोदाम, अग्रेषण अभिकरण म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 (1) परिशिष्ट (च) में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधी उद्योग।</p> <p>सामान्य, भारी एवं मध्यम उद्योग, गैस गोदाम, कोल आवश्यक श्रमिक आवास, बस डिपो कर्मशाला, गोदाम, बस टर्मिनल गृह, रेलवे माल गोदाम, सेवा कर्मशाला, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(1) परिशिष्ट (च) में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग।</p>
19.	<p>6.12.1 मल्टीप्लेक्स विभिन्न भूमि उपयोगों के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स स्वीकृति हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान लागू होंगे। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :- विभिन्न भूमि उपयोगों के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स स्वीकृति हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे।</p>		
20.	<p>6.13 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियम:-</p> <p>6.13 कंडिका के अंतर्गत निम्न नोट अन्तः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :- नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के प्रावधानों के अनुसार होगा।</p>		
21.	<p>6.16 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया:- विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1884 के प्रावधानानुसार, निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना होगी। 1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम-17(1) में निर्धारित प्रपत्र पर विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन करना होगा।</p>		



12 म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये।

14 म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 की धारा 49 (3) के निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित हों।

टीप:-

2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधि म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप भी ध्यान में रखना चाहिये।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.16 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया

विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार, निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना होगी।

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-17(1) में निर्धारित प्रपत्र पर विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन करना होगा।
- 12 अनुज्ञा आवेदन के साथ म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा हेतु आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये।
- 14 म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम 49(1) टिप्पणी क्रमांक 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि पर विकास योजना के प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित हों।

टीप:-

2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधि म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।

22.

6.13 विकास योजना के प्रस्तावों प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:-

म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न अभिलेखों की आवश्यकता होगी।

- 1 परिशिष्ट-2 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र।
- 2 प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो।
- 3 अद्यतन खसरा पाँचसाला एवं खसरा खतौनी।
- 4 आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा।
- 5 जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.13 विकास योजना के प्रस्तावों प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:-

म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) की टिप्पणी 4 के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न अभिलेखों की आवश्यकता होगी।

- 1 निर्धारित प्रपत्र के आवेदन पत्र।
- 2 प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो।
- 3 अद्यतन खसरा पाँचसाला एवं खसरा खतौनी।
- 4 आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा।
- 5 भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

23.

अध्याय-7**7.1 योजना क्रियान्वयन**

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी अनेक प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 एवं अधिनियम 1973 में निहित हैं।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

अध्याय-7

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी अनेक प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित हैं।

7.3 योजना क्रियान्वयन की नीति

- 9 ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में सूखण्ड का आकार मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम-53 (1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

7.3 योजना क्रियान्वयन की नीति

- 9 ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में सूखण्ड का आकार मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-53(1) (एक)(दो) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptownplan.nic.in तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका खुरई एवं कलेक्टर, जिला सागर के कार्यालय में राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन तक की कालावधि में, कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर, निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

उक्त द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, कक्ष क्रमांक - 302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(उत्तम कुमार शुक्ल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत जारी किये जाने वाली सूचना के प्रारूप के लिये खसरो की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	विकास योजना में भूमि उपयोग	उपांतरण	उपरांत प्रस्तावित भू-उपयोग
1	2	3	4		5
1.	रैगुवा	72 का भाग	यातायात नगर		बाय-पास मार्ग
		73 का भाग	शासकीय रास्ता		बाय-पास मार्ग
		74 का भाग	यातायात नगर		बाय-पास मार्ग
		76 का भाग	यातायात नगर		बाय-पास मार्ग
		77 का भाग	यातायात नगर		बाय-पास मार्ग
		78 का भाग	यातायात नगर		बाय-पास मार्ग
		79 का भाग	यातायात नगर, कृषि		बाय-पास मार्ग
		80 का भाग	यातायात नगर		बाय-पास मार्ग
		87 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		88 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		89 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		90 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		91 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		98 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		99 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		100 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		101 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		154 का भाग	कृषि		बाय-पास मार्ग
		155 का भाग	कृषि एवं प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग		बाय-पास मार्ग
		157 का भाग	कृषि एवं प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग		बाय-पास मार्ग

1	2	3	4	5
	रेंगुवा	70 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर
		68 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर
		67 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर
		73 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर
		66 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर
		83 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर
		83 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	यातायात नगर
		84 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		85 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		111 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		73 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		110 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि

28

1	2	3	4	5
		108 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		105 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		106 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		104 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		91 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		154 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		157 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि
		156 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	कृषि



1	2	3	4	5
		56 का भाग	प्रस्तावित मण्डी	बाय-पास मार्ग
		45 का भाग	शासकीय रास्ता	बाय-पास मार्ग
		41 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		40 का भाग	शासकीय रास्ता	बाय-पास मार्ग
		36 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		35 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		34 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग



2019

1	2	3	4	5
3.	सतनाई	257 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		256 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		240 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		244 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		245 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		166 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		168 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		167 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		169 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		170 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		141 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		80 का भाग	शासकीय रास्ता	बाय-पास मार्ग
		140 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		137 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		236 का भाग	नाला	बाय-पास मार्ग

1	2	3	4	5
	सतनाई	158 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		157 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		157 का भाग	कृषि	मार्ग
		149 का भाग	कृषि	मार्ग
		151 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		151 का भाग	कृषि	मार्ग
		152 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		152 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		152 का भाग	कृषि	मार्ग
		153 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		153 का भाग	कृषि	मार्ग
		154 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		156 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		156 का भाग	कृषि	मार्ग
		138 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

61

5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
	मार्ग
	मार्ग
	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
	मार्ग

(Signature)

1	2	3	4
		138 का भाग	कृषि
		138 का भाग	कृषि
		139 का भाग	कृषि
		137 का भाग	कृषि
		137 का भाग	कृषि

207

1	2	3	4	5
4.	जगदीशपुरा	116 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		113 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		112 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		115 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		111 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		110 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		103 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		102 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		101 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		100 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		48 का भाग	शासकीय रास्ता	बाय-पास मार्ग
		22 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		21 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		19 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		4 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग

3


1	2	3	4	5
	जगदीशपुरा	120 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		119 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		119 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		119 का भाग	कृषि	मार्ग
		118 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		118 का भाग	कृषि	मार्ग
		117 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		117 का भाग	कृषि	मार्ग
		107 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		107 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		108 का भाग	कृषि	मार्ग
		108 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		109 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		109 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		109 का भाग	कृषि	मार्ग

र-145

1	2	3	4	5
		105 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		104 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		104 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		103 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		103 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		102 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		102 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		101 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		101 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		110 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		110 का भाग	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		21 का भाग	कृषि	मार्ग
		21 का भाग	कृषि	आवासीय
		21 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		20 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय

(Signature)

1	2	3	4	5
		20 का भाग	कृषि	आवासीय
		19 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		19 का भाग	कृषि	आवासीय
		18 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		18 का भाग	कृषि	आवासीय
		22 का भाग	कृषि	कृषि



1	2	3	4	5
5.	परसौरा	175 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		174 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		171 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं कृषि।	बाय-पास मार्ग
		173 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		154 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं कृषि।	बाय-पास मार्ग
		144 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं कृषि।	बाय-पास मार्ग
		102 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग

1	2	3	4	5
		100 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		97 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		96 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		93 का भाग	नाला	बाय-पास मार्ग
		92 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय	बाय-पास मार्ग

11/11/15

1	2	3	4	5
			(प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	
		83 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग, आपत्ति क्र.3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		82 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग, आपत्ति क्र.3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग



1	2	3	4	5
	परसौरा	177 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		176 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		176 का भाग	कृषि	आवासीय
		175 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		175 का भाग	कृषि	आवासीय
		173 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		173 का भाग	कृषि	आवासीय
		172 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		171 का भाग	कृषि	आवासीय
		171 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		154 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	आवासीय
		145 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		89 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		90 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		91 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि


35

73

1	2	3	4	5
		85 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		83 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		82 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		81 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		74 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि



1	2	3	4	5
6.	रीठौर	198 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		197 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		184 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग	बाय-पास मार्ग
		181 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग	बाय-पास मार्ग
		180 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग	बाय-पास मार्ग
		179 का भाग	आपत्ति क्र.-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		178 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग



1	2	3	4	5
		177 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		165 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित आवासीय (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	बाय-पास मार्ग
		164 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग	बाय-पास मार्ग
		163 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग	बाय-पास मार्ग
		136 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		135 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		133 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		132 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग

6

1	2	3	4	5
		131 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		130 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		129 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग
		59 का भाग	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग का अंश भाग एवं सामान्य वाणिज्यिक	बाय-पास मार्ग


1	2	3	4	5
	शेठार	179 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		178 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		177 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		166 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		165 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		165 का भाग	आपत्ति क्रमांक-3 के अनुसार समिति द्वारा आवासीय उपयोग हेतु मान्य (प्रारूप विकास योजना में भू-उपयोग कृषि)	कृषि
		164 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		164 का भाग	औद्योगिक	कृषि
		163 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		163 का भाग	औद्योगिक	कृषि
		162 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		127 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		128 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि

(7.1)

1	2	3	4	5
		129 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		130 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		131 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		132 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		125 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		124 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	कृषि
		124 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	यातायात नगर
		59 का भाग	बाय-पास मार्ग का भाग	यातायात नगर

नोट :- (1) उक्त उपान्तरण सूची का भाग एक मानचित्र भी रहेगा जिसका अवलोकन संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्टर कार्यालय सागर, नगर पालिका परिषद् खुरई एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में किया जा सकेगा।

(2) बिन्दु क्रमांक-1 में उल्लेखित मानचित्र के अनुसार सेक्शन अ-अ एवं ब-ब के मध्य प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग को यथावत रखा गया है।


संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला-कार्यालय सागर

(23)

अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत जारी किये जाने वाली सूचना के प्रारूप के लिये खसराओं की अतिरिक्त सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	विकास योजना में भूमि का उपयोग	उपांतरण उपरांत प्रस्तावित भू-उपयोग
1	2	3	4	5
1.	रीठौर	5 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		8 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		9 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		10 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		11 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		13 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		14 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		15 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		90 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		95 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		96 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		97 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		104 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		105 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		106 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		107 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		108 का संपूर्ण भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		109 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		174 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		179 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग



1	2	3	4	5
2.	परसोरा	60 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		68 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		69 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		70 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		75 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		76 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		79 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		87 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		89 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		90 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		91 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		104 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग
		143 का भाग	कृषि	बाय-पास मार्ग

Swind

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सागर

2/1/21

